आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 472/इंदौर/2023
निर्धारण वर्ष : 2015-16

सहायक आयकर आयुक्त 1(1), भोपाल	बनाम	डीबीएल अशोक नगर-विदिशा टोलवेज लि., प्लॉट नं. 5, नारायण गेट के अंदर, चुनाभट्टी, ई-2 सेक्टर, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएईसीडी 5553 सी PAN- AAECD5553C		

निर्धारिती की ओर से	श्री हितेश चिमनानी तथा सुश्री कोमल वाधवानी, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री रामकुमार यादव, आयकर आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	25.06.2024
उद्घोषणा तिथि	26.06.2024

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित विभाग की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2023 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर नई दिल्ली द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) सहपठित धारा 263 सहपठित धारा 144बी के अधीन विरचित आदेश दिनांक 21.09.2021 से उद्भूत है ।

2. इस अपील के संबंध में, हमने पाया कि धारा 143(3) सहपठित धारा 263 सहपठित धारा 144बी अधीन विरचित निर्धारण आदेश दिनांक 21.09.2021 जिससे समस्त कार्यवाही

उद्भूत हुई है वह प्रधान आयकर आयुक्त-1, भोपाल द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 31.01.2020 के अनुसरण में पारित किया गया था । तत्पश्चात निर्धारिती ने कथित पुनरीक्षण आदेश के विरूद्ध आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ के समक्ष आ.अ.सं. 146/इंदौर/2020 में अपील दाखिल की थी । यह अपील आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ द्वारा पहले ही आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा निर्णयित की जा चुकी है जिसमें कथित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 31.01.2020 को निरस्त किया गया है । परिणामतः कथित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 31.01.2020 के अनुसरण में पारित निर्धारण आदेश दिनांक 21.09.2021 जिससे वर्तमान अपील उद्भूत हुई है, स्वतः ही निरस्त हो गया है । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने निर्धारिती को प्रथम अपील में इसी आधार पर राहत प्रदान की है । उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में वर्तमान अपील की कोई प्रासंगिकता नहीं है ।

3. सुनवाई के दौरान विद्वान विभागीय प्रतिनिधि तथा विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि ऊपर उल्लिखित तथ्यों की दृष्टि में वर्तमान अपील निष्फल (infructuous) है तथा उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि विचाराधीन अपील को निष्फल (infructuous) होने के कारण खारिज किया जाता है । तद्नुसार हम विभाग की इस अपील को निष्फल (infructuous) होने के कारण खारिज करते हैं ।

4. परिणामतः, विभाग की अपील खारिज की जाती है ।

यह आदेश 26.06.2024 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(विजय पाल राव)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 26.06.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल